सचिव
माननीय राज्यपाल, राजस्थान

सत्यमेव जयते

लोक भवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान,
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक : एफ.42(2)आरबी / 2023 / 4612
दिनांक : 06 अगस्त, 2026

प्रो. कैलाश डागा
कुलगुरू,
मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

महोदय,

लोक भवन के आदेश क्रमांक 4164–65 दिनांक 06.08.2023 के माध्यम से प्रो. केशव सिंह ठाकुर को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा का कुलगुरू नियुक्त किया गया था। प्रो. ठाकुर द्वारा कुलगुरू पद का कार्यभार दिनांक 07.08.2023 (मध्यान्ह पश्चात) को संभाला गया। अतः इनका तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 07.08.2026 को पूर्ण होने जा रहा है।

उपर्युक्त क्रम में निवेदन है कि गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) के अन्तर्गत नियमित कुलगुरू की नियुक्ति होने में समय लगने की संभावना है। साथ ही विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(9) व (10) के तहत कामचलाऊ व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में भी समय लगने की संभावना है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रो. कैलाश डागा, कुलगुरू, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर को गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा में कामचलाऊ व्यवस्था हेतु लगाये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः मैं, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार आपको अग्रिम आदेशों अथवा राज्य सरकार से उक्त संबंध में सलाह प्राप्त होने तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

भवदीय,

(डॉ. पृथ्वी)

क्रमांक : एफ.31(2)आरबी / 2023 4613 दिनांक : 06 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा।
5. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान